

का०आ०सं० 184 / ग्रा०वि०पटना, दिनांक 8 जून, 2007 ई०।

ग्रा०वि०पटना०/रा०व०/सूचना-32/2006

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के लिए लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में नामित से संबंधित पूर्व निर्गत विभागीय का०आ०सं०-160 प्र०वि० सं० 4455 दिनांक 24.05.07 को आंशिक संशोधन करते हुए विभाग के लिए निम्न रूप से निम्नलिखित पदाधिकारियों को प्रशाखावार लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	प्रशाखा
1	2	3	4
1.	श्री अजय कुमार सिन्हा, वि०प्र०से०	उप सचिव	प्रशाखा-1 एवं 4
2.	.. आदित्य प्रसाद, वि०प्र०से०	उप सचिव	प्रशाखा-8
3.	.. कौशल कुमार राय, वि०प्र०से०	उप सचिव	प्रशाखा-7
4.	.. बाल कृष्ण राम, स०सं०सं०	अवर सचिव	प्रशाखा-2 एवं 5
5.	.. शिव कुमार सुमन, स०सं०सं०	अवर सचिव	प्रशाखा-3 एवं 6

इसके साथ उपरोक्त नामित लोक सूचना पदाधिकारी के अवकाश में रहने अथवा अन्य कारणों से मुख्यालय से बाहर रहने के फलस्वरूप उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के संपादन से संबंधित पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश को आंशिक संशोधन करते हुए निम्न रूप से रीस्टर व्यवस्था किया जाता है :-

क्रमांक	लोक सूचना पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम ।	कॉलम-2 में उल्लिखित लोक सूचना पदाधिकारी के अवकाश/अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप उनके सम्पादित करनेवाले पदाधिकारी का नाम ।
1	2	3
1.	श्री अजय कुमार सिन्हा, वि०प्र०से०, उप सचिव ।	श्री आदित्य प्रसाद, वि०प्र०से०, उप सचिव ।
2.	.. आदित्य प्रसाद, वि०प्र०से०, उप सचिव ।	श्री कौशल कुमार राय, वि०प्र०से०, उप सचिव ।
3.	श्री बाल कृष्ण राम, स०सं०सं० अवर सचिव ।	श्री शिव कुमार सुमन, स०सं०सं०, अवर सचिव ।
4.	.. कौशल कुमार राय, वि०प्र०से०, उप सचिव ।	.. अजय कुमार सिन्हा, वि०प्र०से०, उप सचिव ।